पुन. 46/19 सरकार / कदर खोजा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने RLR act 1956 की धारा 130, 131, 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साकुलपुरा में पटवारी हल्का बडनावा द्वारा खसरा गिरदावरी पाया कि ग्राम में संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार ख.न. 295, 261, 259, 265, 250, 260, 251, 257, 267 में से संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार एक कदीम रास्ता चलाया है परन्तु राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नहीं है। राजस्व रेकर्ड में यह रास्ता कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। अतः राजस्व रेकर्ड में कदीम रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने एवं रास्ते में स्थित का लगान हटाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षी खातेदारान को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला के विपक्षी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। राजस्व रेकर्ड अद्दिनांक रखना आवश्यक है। मौके पर कदीम रास्ता चल रहा है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुमकिन भूमि के रूप में दर्ज है जबकि मौके पर	

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता चल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम साकुल्पुरा के खसरा नं 295, 261, 259, 265, 250, 260, 251, 257, 267 रकबा क्रमशः 0-12, 1-01, 0-11, 0-16, 0-10, 0-10, 0-12, 0-14, 0-08 भूमि संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार गै.मु. रास्ता दर्ज की जाती है। गै.मु रास्ते के रूप में यह भूमि पूर्व की भांति प्रार्थी की खातेदारी भूमि रहेगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" व 'ब' निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 28/8/19 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner